कार्यालय मुख्य प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ब्यावर आगार
क्रमांक: मुप्र/2019/2101 दिनांकः– 25-7-19

–:बुकिंग एजेन्टो की आवश्यकता हेतु निविदा सूचनाः–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ब्यावर आगार के अधिनस्थ निम्नलिखित बुकिंग स्टेण्डो के लियें कमीशन दरो पर वाहनो में ईटीआईएम से टिकट जारी करने हेतु एजेन्ट लगाये जाने प्रस्तावित है।

कस	स्थान का नाम	एजेन्टो की सख्या	पारी 9 से 17 बजे	मार्ग	धरोहर राशि	ईटीआईएम की सुरक्षा राशि
1	बर	1	सामान्य	पाली–ब्यावर	10,000/–	20,000/–
2	बर	1	सामान्य	जोधपुर–ब्यावर	10,000/–	20,000/–
3	आउटर–मसूदा–रोड चूँकी–नाका, ब्यावर	1	सामान्य	समस्त वाहने	10,000/–	20,000/–
4	भिनाय	1	सामान्य	समस्त वाहने	10,000/–	20,000/–
5	निम्बाज	1	सामान्य	समस्त वाहने	10,000/–	20,000/–

1.इच्छुक व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र में अपने प्रस्ताव कार्यालय समय एवं कार्य दिवस में 100 शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते है जो दिनांक 14.08.2019 तक बन्द लिफाफें में 5000/– धरोहर राशि के साथ दोपहर 14:00 बजे तक जमा कराने होगे है प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2019 को 15:00 बजे खोले जावेगे।

2.कमीशन की अधिकतम सीमा बेसिक किराया का 5 प्रतिशत होगा।
5 प्रतिशत से कम दर पर कार्य करने वाले को एजेन्सी देय होगी।

3.किसी भी आवेदन पत्र का बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा।

4.इस बाबत् अधिक जानकारी आगार कार्यालय से की जा सकती है।

सलग्न–1

(रघुराजसिह राजावत)
मुख्य प्रबन्धक
ब्यावर आगार

Scanned by CamScanner

शर्ते बुकिंग ऐजेन्सी अनुमति के लिए

1. बुकिंग ऐजेन्सी की अनुमति आदेश में उल्लिखित समयावधि के लिये ही मान्य होगी।
2. ये बुकिंग ऐजेन्सी निगम द्वारा बिना कारण दर्शाये तथा बिना अग्रिम नोटिस दिये समाप्त की जा सकती है।
3. यदि बुकिंग ऐजेन्ट इस एजेन्सी का संचालन नहीं करना चाहे तो उसे 30 दिवस का अग्रिम नोटिस देना होगा, यह 30 दिन की गणना एजेन्ट द्वारा मुख्य प्रबन्धक को लिखित नोटिस देने के दिन से की जायेगी।
4. ऐजेन्ट को टिकिटों का आपूर्ति प्राप्त की जाने वाली टिकिट राशि के समतुल्य अग्रिम राशि देने के बाद ही की जायेगी।
5. निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार ऐजेन्ट को कमीशन दिया जायेगा।
6. ये ऐजेन्सी आदेश में उल्लिखित बस स्टेण्ड के लिये ही मान्य होगी।
7. ऐजेन्ट केवल निगम कार्यालय से प्रसारित टिकिटों की ही बिक्री करेगे।
8. ऐजेन्ट द्वारा टिकिटों की बिक्री निगम की हिदायतों के अनुसार तथा निगम द्वारा निर्धारित समय अवधि के लिये ही की जा सकेगी।
9. निगम बसों के टिकिटों के अतिरिक्त एजेन्ट किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थान की बस टिकिटों की बिक्री नहीं करेगे।
10. टिकिट बिक्री के रिकार्ड के संधारण हेतु ऐजेन्ट को निगम कार्यालय के निर्देशानुसार पंजिकाये एवं दस्तावेज तैयार करने होगें तथा वांछित सूचना निर्धारित समय पर निगम कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
11. ड्यूटी पर कार्यरत निगम कर्मचारी तथा इस कार्य के लिये अधिकृत कर्मचारी ऐजेन्ट कार्यालय के रिकार्ड व टिकिट स्टॉक का निरीक्षण कभी भी कर सकते है। जांच इत्यादि की स्थिति में आवश्यकतानुसार निगम कर्मचारियों की ऐजेन्ट कार्यालय के भवन/अहाते में प्रवेश का अधिकार होगा।
12. ऐजेन्ट को टिकिट प्रसारण के अतिरिक्त निगम के किसी भी अन्य कार्य का अधिकार नहीं होगा तथा किसी भी अन्य सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
13. विवाद की स्थिति में मामला निगम के अध्यक्ष महोदय को पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। पंच निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा तथा वही दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।
14. इन शर्तो एवम् इस मामले में प्रसारित अन्य आदेश/निर्देश की निगम व्याख्या मान्य होगी।

मुख्य प्रबन्धक
ब्यावर-आगार

Scanned by CamScanner